



फर्द अहकाम
(नियम 20)

2022/4

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

विकास अधिकारी

पंचायत समिति पिण्डवाडा।

1. सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली
2. चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय झाडौली ग्राम पं. झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही

किरम मुकदमा- पंचायत निगरानी

मुकदमा नं. 04 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
05.01.2022	<p>प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पट्टा संख्या 26221 दिनांक 21.07.2014 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया। यह है कि उक्त पट्टे के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तुत निगरानी संख्या 08/2016 अनवान श्री अंकुर पुत्र श्री दीनानाथ व अन्य बनाम सरपंच झाडौली व राजकीय औषधालय सिरौही में उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 26221 दिनांक 21.07.2014 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2021 को निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर धारा 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत इस निगरानी प्रार्थना पत्र पर पूर्व न्याय का सिद्धान्त (Res Judicata) लागू होने से परिपोषणीय नहीं है। अतः ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

